

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION, HARIDWAR

Revenue Sub Inspector (Patwari/Lekhpal) Examination-2022





Name of Candidate :	REETA BISHT	Roll No. :	188481	
Father's / Guardian's Name :	DEV SINGH BISHT	User Id :	reetabisht0104@gmail.com	
Date Of Birth :	01/04/1997	Gender :	Female	
Application Number :	RSI161526	Claimed Category / Sub Category :	Unreserved/ Uttarakhand Female	
Exam District Code :	07	Exam District Name :	Nainital	
Exam Name :	Revenue Sub Inspector (Patwari/Lekhpal) Exam-2022			





(S.L. Semwal)

Controller of Examinations
Uttarakhand Public Service Commission

EXAM PROGRAMME				
Date/Day	Time	Exam Type	Exam Subject Name & Subject Code	Center Name & Center Code
8 January 2023 (Sunday)	11.00 AM to 1.00 PM	Objective Type	General Hindi, General Knowledge & General Studies, Uttarakhand Related Various Knowledge (98)	DIKSHANT INTERNATIONAL SCHOOL,UDAILALPUR, R.T.O. ROAD, HALDWANI, DISTRICT- NAINITAL. (362)

- Please read the instructions given below carefully -

महत्वपूर्ण निर्देश

- 1. परीक्षा के लिए आपका अभ्यर्थन पूरी तरह से औपबंधिक है। यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है या गलत जानकारी/दस्तावेज प्रदान करता है, तो उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर रद्द कर दिया जाएगा। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप मर्यादा बनाए रखें और निर्धारित समयाविध के दौरान परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
- 2. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रातः 9.30 बजे तक प्रत्येक दशा में परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर पहुंच जाए, जहां प्रत्येक अभ्यर्थी की सघन तलाशी ली जाएगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी की उसके प्रवेश-पत्र के साथ वीडियोग्राफी भी की जाएगी।
- 3. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र जरूरी है। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमित नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को कक्ष निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 4. परीक्षा हॉल में प्रवेश करने हेतु मुद्रित प्रवेश पत्र के साथ आवेदन पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान पत्र की प्रति साथ लाए। ई-प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
- 5. यदि प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो और हस्ताक्षर मुद्रित नहीं हैं या ई-प्रवेश पत्र पर तस्वीरें स्पष्ट नहीं हैं, तो अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे केंद्र पर्यवेक्षक को दो फोटो एवं एक पहचान प्रमाणपत्र की प्रति के साथ रिपोर्ट करें।
- 6. आप अपने ई-प्रवेश पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस ई-प्रवेश पत्र का उपयोग करने की स्थिति में, यह साबित करने का दायित्व आप पर है कि आपने किसी प्रतिरूपणकर्ता(ओं) की सेवाओं का उपयोग नहीं किया है।
- 7. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई कीमती/महंगा सामान न लाएं। आयोग/केन्द्र व्यवस्थापक ऐसी किसी भी वस्तुओं की चोरी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 8. प्रत्येक सत्र में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पहले परीक्षा हॉल में प्रवेश करें। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ओ0एम0आर0- उत्तर पत्रक / प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि प्रश्न पुस्तिका से ओ0एम0आर0- उत्तर पत्रक सावधानीपूर्वक निकाल लें। अभ्यर्थी को निर्देश दिए जाने तक प्रश्न पुस्तिका खोलने की अनुमित नहीं है। प्रत्येक सत्र में परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा हॉल में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 9. अभ्यर्थियों को अपनी सीटों पर बैठने के तुरंत बाद अपनी जेब, डेस्क इत्यादि की जांच करनी चाहिए। यदि कोई अतिरिक्त कागज या कोई अवांछित सामग्री मिलती है, तो उसे परीक्षा शुरू होने से पहले कक्ष निरीक्षक को सौंप दिया जाए।
- 10. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर, प्रोग्रामेबल/नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, घड़ियां (एनालॉग घड़ियों सहित) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरणों को ले जाना प्रतिबंधित है।
- 11. किसी भी निर्देश (निर्देशों) का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन रद्द किया जा सकता है, साथ ही परीक्षा के मौजूदा नियमों के तहत आयोग द्वारा अभ्यर्थी के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।

- 12. अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ओ०एम०आर० प्रविष्टियां करने के लिए परीक्षा हॉल में नीला/काला बॉल प्वाइंट पेन लेकर आएं। पेंसिल एवं इरेजर के प्रयोग की अनुमित नहीं है।
- 13. यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है या परीक्षा में किसी भी प्रकार से बाधा डालता है, तो उसके विरुद्ध उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-2013), विज्ञापन की प्रासंगिक धाराएँ एवं अन्य उचित कानूनी प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 14. परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 15. परीक्षा समाप्त होने के बाद ओ0एम0आर0- उत्तर पत्रक निरीक्षक को सौंपने के बाद ही अभ्यर्थी परीक्षा हॉल से बाहर जाएगा। यदि अभ्यर्थी ओ0एम0आर0- उत्तर पत्रक परीक्षा कक्ष के बाहर ले जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी को केवल प्रश्न पुस्तिका और अभ्यर्थी की ओ0एम0आर0 प्रति (तीसरी प्रति) ले जाने की अनुमति है।
- 16. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर लें।
- 17. परीक्षा केंद्र/परिसर के अंदर धूम्रपान करना पूर्णतः वर्जित है।
- 18. अभ्यर्थी को भविष्य में पत्राचार के लिए प्रवेश पत्र सुरक्षित रखना चाहिए।
- 19. परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के साथ तलाशी और सत्यापन किया जाएगा।
- 20. अभ्यर्थियों को किसी अपरिहार्य परिस्थिति को छोडकर परीक्षा अवधि के प्रथम घण्टे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 21. राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं हेतु प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची

- 1. पठन सामग्री जैसे पेपर चिट्स, किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, सादा कागज आदि।
- 2, स्टेशनरी सामग्री जैसे पेंसिल, ज्यामिति / पेंसिल बॉक्स, क्लिपबोर्ड, पाउच, स्केच पेन, मार्कर, स्केल, रबर आदि।
- 3. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे

-मोबाइल फोन

-घडियां(एनालॉग भी)

-ब्ल्ट्रथ डिवाइस

-पेन कैमरा

-वाहन की रिमोट चाबी

-बटन कैमरा

-हैंड हेल्ड स्कैनर

-हेड/ईयर फ़ोन/ईयर बड

-स्टोरेज डिवाईसेज

-कोई अन्य इलेक्टॉनिक उपकरण

-सिम कार्ड

-कैलकुलेटर

-हैत्थ/स्मार्ट बैंड

-रेडियो डिवाइस, रिमोट डिवाइस

- 4. आग्नेयास्त्र (गोलियों, छर्रों सहित) या कोई भी हथियार
- 5. कोई अन्य वस्तु, जिसका उपयोग अनुचित तरीके से कैमरा, ब्लू ट्रथ डिवाइस आदि जैसे उपकरणों को छिपाने के लिए किया जा सकता है।
- 6. यह एक विस्तृत सूची नहीं है, और यू0के0पी0एस0सी0/केंद्र अधीक्षक के पास परीक्षा स्थल में ऐसी वस्तुओं को ले जाने से रोकने का अधिकार सुरक्षित है, जिसका उपयोग धोखाधड़ी या कदाचार या अनुचित साधनों में किया जा सकता है।

